

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/215
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00214
CICOM/R/2016/00451

दिनांक: 10.06.2016

अपीलकर्ता : श्री संजय कुमार शुक्ला,
प्रबंध संपादक,
180, ए.बी., पाटलीपुत्रा कालोनी,
पटना - 13.

निर्णय की तारीख: 10.06.2016

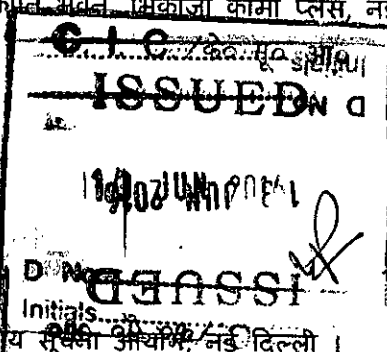
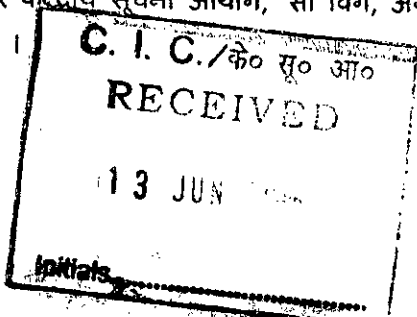
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	29.03.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	09.04.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री योगेश कुमार सिंहल
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	19.04.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	135668/16.05.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	283/16.05.2016

1. अपीलकर्ता द्वारा आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से सूचना अधिकार अधिनियम की धरा 20(1) के तहत वसूल की गई दंड राशि का अनुपाल से संबंधित सूचना मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री योगेश कुमार सिंहल, संयुक्त सचिव व जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना कि "मांगी गई सूचना के संदर्भ में अवधि अर्थात् किस तिथि से किस तिथितक सूचना चाहिए, इसका उल्लेख नहीं किया गया है, इस स्थिति में सूचना प्रदान करना संभव नहीं है" से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है।

2. अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में अनुरोध किया है कि वसूल की गई दंड राशि का अनुपालन प्रतिवेदन जब से तैयार किया गया है उसकी सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाई जाए। तदुसार श्री किशोर कुमार पोखराल, अनुभाग अधिकारी व जन सूचना अधिकारी (विधि अनुभाग) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर अपीलकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जाए।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।



अचला सिन्हा
(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

- जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
- श्री किशोर कुमार पोखराल, अनुभाग अधिकारी व जन सूचना अधिकारी (विधि अनुभाग), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

9/6/16
13/6/16